कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अनुश्रवण प्रकोष्ठ यूनिट-3,
सिंचाई भवन एनेक्सी, लखनऊ।

□त्रांकः /अनु0प्रको0/यू00-3/नीलामी/लखनऊ दिनांक ,2022

<u>नीलामी की सूचना</u>

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय अधिशासी अभियन्ता अनुश्रवण प्रकोष्ठ यूनिट-3, सिंचाई भवन एनेक्सी, लखनऊ, केकैम्□स □रिसर में निष्प्रयोज्य घोषित वाहन (जी□ सं0 यू0□ी032 एफ 2707) की खुली नीलामी ‘‘ जहाँ है,जैसी है ’’ के आधार □र**<u>दिनांक 22.07.2022 को दो□हर 12.00</u>** बजे प्राधिकृत समिति द्वारा**<u>चौ0चरण सिंह ऑडिटोरियम हाल, सिंचाई भवन एनेक्सी लखनऊ,</u>** में निम्न विवरण के अनुसार की जायेगी।

क्र0सं0	**वाहन का रजिस्ट्रेशन नं0**	**वाहन का प्रकार**	**धरोहर धनराशि**
01	यू0□ी0 32 एफ 2707	डीजल जी□	रू0 4000.00

<u>नोट-</u>नीलामी सूचना तथा अन्य शर्तें सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, की विभागीय वेबसाईट **<u>http://idup.gov.in</u>** □र उ□लब्ध है।

(राम बाबू)
अधिशासी अभियन्ता

<u>नीलामी की अन्य शर्ते</u>

1- निष्प्रयोज्य घोषित वाहन, जिसका न्यूनतम नीलामी मूल्य धनराशि रू0पये 35800.00(पैंतिस हजार आठ सौ) मात्र रखी गयी है।

2- नीलामी प्रपत्र/निष्प्रयोज्य घोषित वाहन (जीप सं0 यू0पी0 32एफ2707) की सूची प्राधिकार पत्र/पंजीकरण मूलरूप में प्रस्तुत करते हुए दिनांक 18.07.2022 से दिनांक 20.07.2022, तक कार्यालय अवधि में प्रातः 10.00 बजे सायं 3.00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

3- नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक प्राधिकृत एवं पंजीकृत प्राधिकारी संस्थाओं को धरोहर धनराशि एन0एस0सी0/राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत एफ0डी0आर0 के रूप में, जो अधिशासी अभियन्ता, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान खण्ड, सिंचाई भवन एनेक्सी, लखनऊ, के नाम बन्धक हो, को पूरे भरे हुए नीलामी प्रपत्र के साथ दिनांक 21.07.2022, को सायं 03.00 बजे तक अधिशासी अभियन्ता, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान खण्ड, सिंचाई भवन एनेक्सी, लखनऊ के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। धरोहर धनराशि जमा किये बिना नीलामी में भाग नही लिया जा सकता।

4- निष्प्रयोज्य वाहन का निरीक्षण कार्यालय दिवस में प्रातः 10.00 बजे सायं 3.00 बजे तक सम्बन्धित कार्यालय में सम्पर्क कर किया जा सकता है।

5- उपरोक्त वाहन की नीलामी जैसा है, जहाँ है, के आधार पर की जायेगी।

6- प्रत्येक राउण्ड में सभी बोलीदाताओं द्वारा बोली गई धनराशि ओंकित की जायेगी।

7- नीलामी के दिन बोलीदाता को अपनी फोटो पहचान-पत्र, निवास स्थान, कार्यालय के पते तथा दूरभाष संख्या नोटरी से सत्यापित कराकर नीलामी हेतु निर्धारित दिनांक 22.07.2022, को प्रातः 11.30 बजे तक प्रस्तुत करना होगा।

8- बोलीदाता को अपना फर्म का पैन नम्बर तथा **<u>जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन</u>** की प्रमाणित छायाप्रतियां भी नीलामी हेतु दिनांक 22.07.2022, प्रातः 11.30 बजे के पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा। **<u>जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन</u>** न होने पर बोली में भाग नही लिया जा सकेगा।

9- बोली की धनराशि पर नियमानुसार **<u>जी0एस0टी0</u>** अथवा अन्य कर उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति/फर्म को अलग से देना होगा।

10- केवल वही व्यक्ति/फर्म नीलामी में बोली बोलने हेतु अधिकृत होंगे, जिनके द्वारा निर्धारित तिथि एवं समय तक धरोहर धनराशि जमा कर रसीद प्राप्त कर ली गयी हो। निर्धारित समय के उपरान्त किन्ही भी परिस्थितियों में कोई भी धनराशि जमा नही की जायेगी।

11- नीलामी हेतु समस्त निर्णय का अधिकार, नीलामी हेतु प्राधिकृत समिति के पास सुरक्षित होगा तथा इसके लिए कोई कारण बताना अनिवार्य नही होगा।

12- अधिकतम बोली बोलने वाले व्यक्ति/फर्म को अपनी बोली की 25 प्रतिशत राशि अर्नेस्ट मनी के रूप में तुरन्त जमा करनी होगी, अन्यथा उसके द्वारा नीलामी से पूर्व जमा कराई अग्रिम प्रतिभूति की राशि राजकीय हित में जब्त कर ली जायेगी तथा दूसरे अधिकतम बोली वाली फर्म/व्यक्ति को अर्नेस्ट मनी जमा करनी होगी। यदि उच्चतम बोली समिति के विचार में कम है तो नीलामी समिति पुनः नीलाम करने की कार्यवाही कर सकती है।

13- नीलामी की दरें स्वीकार करने का पूर्ण अधिकार नीलामी हुत प्राधिकृत समिति की होगा।

14- नीलामी में कोई भी व्यक्ति, व्यक्ति अथवा फर्म के लिए तब तक बोली नही बोल सकता जब तक कि अनुपस्थिति व्यक्ति/फर्म का लिखित प्रधिकार पत्र उसके पास न हो।

15- नीलामी **चौ0चरण सिंह ऑडिटोरियम हाल, सिंचाई भवन एनेक्सी, लखनऊ,**में होगी। नीलामी के समय कोई भी व्यक्ति एवं फर्म, किसी भी प्रकार का कोई हथियार या विस्फोटक पदार्थ लेकर नही आयेगा तथा यदि आता है, तो उसके विरूद् कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

16- यदि नीलामी करने वाली समिति का यह विचार है कि बोली बोलने वाली फर्मो/व्यक्तियों ने गिरोह बना लिया है,और वाहन/सामान का उचित मूल्य नही मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में नीलामी स्थगित कर दी जायेगी।

17- नीलामी में बोली गई दरों की वैघता 3 माह तक होगी।

18- प्राधिकृत नीलामी समिति द्वारा स्वीकार की गई उच्चतम बोली तभी मानी जायेगी जब सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित करते हुए विक्रय स्वीकृत कर दिया जायेगा।

19- नीलामी स्वीकृत होने के पश्चात नीलामी बोलने वाले व्यक्ति को एक माह के अन्दर नीलामी की अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि जमा करनी होगी। अन्यथा उसके द्वारा जमा की गई 25 प्रतिशत राशि राजकीय हित में जब्त कर ली जायेगी।

20- नीलामी का कुल मूल्य जमा कर दियें जाने के पश्चात 07 दिवस के अन्दर नीलामी स्थल से वाहन/सामग्री को ले जाने का उत्तरदायित्व मय लोंडिंग/अनलोंडिंग सम्बन्धित बोली दाता का होगा। अन्यथा सक्षम अधिकारी द्वारा निष्प्रयोज्य सामग्री को स्टोर करने एवं इसकी अभिरक्षा हेतु एक प्रतिशत (विक्रय मूल्य पर) प्रतिदिन की दर अतिरिक्त प्रभार निर्धारित किया जा सकता है।

21- नीलामी की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के उपरान्त सफल बोलीदाता को नीलाम किये गये वाहन एवं सहवर्ती उपकरणों को किसी भी दशा में वापस नही लिया जायेगा।

(अधिशासी अभियन्ता)
अनुश्रवण प्रकोष्ठ यूनिट-3,
सिंचाई भवन एनेक्सी, लखनऊ।